प्ररूप-1क

(नियमावली)

(सोसायटी की उप-विधियां)

आवेदन क्रमांक : **S2140304178125032017**

अनुमोदन दिनाँक : **20 Apr 2017**

1. सोसायटी का नाम **KRUTIKA EDUCATION WELFARE SHIKSHAN SAMITI BADNAGAR** होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 212 शिक्षक कॉलोनी बडनगर 456771 तहसील बडनगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
   मोबाईल क्रमांक (अध्यक्ष/सचिव) 8839742633 एवं
   ईमेल आईडी krutikaeducation76@gmail.com
3. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा।
4. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-

1	शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निशुल्क सेमिनार का आयोजन करना
2	प्रत्येक वर्ग के बालक बालिकाओ के बेहतर भविष्य के लिए रक्षा का उचित प्रबंध करना
3	बच्चों के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयो, छात्रावास की स्थापना करना एवं उसका प्रबंध संचालन करना
4	शासन द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुचाना
5	चिकित्सीय सुविधाए उपलब्ध करवाने हेतु सेमिनार आयोजित करवाना
6	अनुसूचित जाती अनुशुचित जनजाति वर्ग के बच्चो के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना
7	बालविवाह रोकने हेतु प्रेरित करना,
8	विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
9	शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।
10	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
11	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन ।
12	शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
13	शासन की मंसानुसार ग्राम पंचायत में लागु योजनाओ का प्रचार पराशर करना एवं उनमे सहय प्रदान करना
14	शासन की योजना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उचित शिक्षा प्रदान करना,
15	बेरोजगार युवक युवतियों के लिए निशुल्क रोजगार सेमिनार आयोजित करवाना,

5. सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-

(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल

ATTESTED
AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

कृतिका एजुकेशन वेलफेयर शिक्षण समि...
तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

	साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा। **(ख) आजीवन सदस्य** वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा। **(ग) साधारण सदस्य:** वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है। **(घ) मानद सदस्य-** सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति** -प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।
7.	**सदस्यता के लिए अर्हता-** सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:- 1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो । 4.सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर । 4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो । 5.कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।
9.	**सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-** 1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर 2. रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख । 3. सदस्यता की समाप्ति की तारीख।
10.	**(क) साधारण सम्मिलन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा। **(ख)प्रबंधकारिणी समिति-** प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा

ATTESTED
AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA

कृतिका एजुकेशन वेलफेयर शिक्षण समिति
तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

	और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।
11.	साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व- एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना । दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना । तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना। चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए। पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना। छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।
12.	प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :- (1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2
13.	प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल: प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
14.	प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व- (क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है। (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना । (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना । (ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं । (च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी । (छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।
15.	अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।

GOVT. OF INDIA
Reg. No 14536/2016
Exp Date 18/9/2024

ATTESTED
AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

कृतिका एजुकेशन वेलफेयर शिक्षण समिति
तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।
17.	**सचिव के अधिकार-** (क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना । (ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए । (घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा ।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।
21.	**रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी-** मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
22.	**विघटन-** सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।
23.	**सम्पत्ति-** समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष / सदस्य	सचिव / सदस्य	कोषाध्यक्ष / सदस्य

NOTARY
AMIT KAUL
Advocate & Notary
Govt. of India
Area Indore (M.P.)
Reg. No. 14536/2019
Exp. Date 19/07/2024
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

कृतिका एजुकेशन वेलफेयर शिक्षण समिति
तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन